

.....14-2-24 को पेश हो।

14-2-24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित।  
उकरण में बहस सुनी गयी। तदनुसार पक्षी का  
पार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद को  
पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होगा।  
पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 20-3-24  
को पेश होगी।

उपखण्ड अधिकारी  
राजपुर (अजमेर)

12/12/24  
श्री 21/12/24